संख्या-34/2018/486/कनिप्र/26-3-2018-18(71)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक : 05 दिसम्बर, 2018

समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-संख्या-2658-59/स0क0/विकास/सब-प्लान लखीमपुर खीरी/77/2017-18 दिनाँक 24 मार्च,2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-पलिया के ग्राम सुआ एवं भूडा मे पिच रोड, इंटर लाकिंग तथा नाली निर्माण की कुल पारियोजना लागत रू0 866.06 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 70.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- लखीमपुर खीरी — **(धनराशि लाख रुपये)**

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृति की जा रही धनराशि
पलिया	सुआ	पिच रोड, इंटर लाकिंग तथा नाली निर्माण	438.60	35.00
	भूडा	पिच रोड, इंटर लाकिंग तथा नाली निर्माण	427.46	35.00
		योग	866.06	70.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(यू0पी0आर0एन0एस0एस0) से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र कार्य कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4) प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(6) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की लागत मे सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि सहित) जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) लखीमपुर खीरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-34/2018/486(1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखीमपुर खीरी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू.पी.आर.एन.एस.एस.) लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
8- गार्ड फाइल।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in